तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म [illegible]
25/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प किशोरपुरा में आदेशार्थ पेश हुई. प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर पूर्व में राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी वाके ग्राम बांक्या तहसील दीगोद में खाता नं0 122 पर स्थित भूमियां ख0नं0 55, 60, 139, 156, 164, 171, 182, 183, 334, 416, 492/516 कुल किता 11 रकबा 12.94 हे0 एवं खाता सं0 123 पर स्थिति भूमिया ख0नं0 42, 47, 48, 56, 57, 86, 90, 328 कुल किता 8 रकबा 19.96 हे0 के सम्बन्ध में परिवार में सोहार्द की भावना बनी रहे इस कारण पूर्व में ही आपसी पारिवारिक विभाजन हो गया था, जिसके अनुसार भूमियां सभी पक्षकारान् के हिस्से एवं कब्जें में आई है तथा उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बांरा के निर्णय से ग्राम तीगोद व सिंघपुरी की भूमियों का भी बंटवारा पूर्व में आपसी सहमति से हो चुका है, जिसकी नकल संलग्न है। उभयपक्ष की आपसी सहमति एवं रजामंदी से तथा पारिवारिक बंटवारें के अनुसार उक्त वाद में मुताबिक राजीनामा बंटवारा किये जानें से उभयपक्ष सहमत है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाया जावें। राजीनामा शामिल मिसल किया गया। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया, वादी एवं प्रतिवादीगण राजीनामा पर सहमत है तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री बलराम शर्मा एवं प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री छीतरलाल गोचर द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में विधिक विचारण करनें के उपरान्त हम यह पाते है कि विवादित आराजी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 42 रकबा 2.29 हे0, ख0नं0 47 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 48 रकबा 3.75 हे0 ख0नं0 56 रकबा 1.24 हे0, ख0नं0 57 रकबा 3.42 हे0, ख0नं0 86 रकबा 2.97 हे0, ख0नं0 90 रकबा 3.09 हे0, ख0नं0 328 रकबा 2.25 हे0 कुल किता 8 रकबा 19.96 हे0 एवं ग्राम बांक्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 55 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 60 रकबा 1.21 हे0, ख0नं0 139 रकबा 0.84 हे0, ख0नं0 156 रकबा 1.55 हे0, ख0नं0 164 रकबा 2.55 हे0, ख0नं0 171 रकबा 2.80 हे0, ख0नं0 182 रकबा 0.61 हे0, ख0नं0 183 रकबा 2.70 हे0, ख0नं0 334 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 416 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 492/516 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 11 रकबा 12.94 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी	

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की जारी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नं0 1 ता 26 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार उभयपक्ष के खातें में. ग्राम तीखोद एवं सिंघपुरी तहसील मांगरोल जिला बांरा में भी संयुक्त खातेदारी में भूमियां स्थित चली आ रही थी। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उभयपक्ष नें आपसी राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण किया गया था। उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नं0 14 ता 17 नें अन्य ग्राम की आराजी में अपना हिस्सा अन्य के पक्ष में छोड दिया, जिससे ग्राम बांक्या में भूमि धारण करनें के अधिकारी है। उक्त निर्णय में उल्लेखित किया गया है कि "अनुसूचित जन जाति में लडकियों का अधिकार नहीं होना कानूनों में अंकित है।" वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2004 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। किन्तु प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा अपनें स्वत्व छोडे जा रहे है, जिसमें राजकीय हानि होना भी प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बाक्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 86 रकबा 2.97 हे0, ख0नं0 90 रकबा 3.09 हे0 में से रकबा 0.80 हे0 एवं ख0नं0 171 रकबा 2.80 हे0 में से 0.96 हे0, ख0नं0 60 रकबा 1.21 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर के हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार वादी हरिमोहन व प्रतिवादी 14 ता 17 के हिस्से में ख0नं0 90 रकबा 3.09 हे0 में से 0.48 हे0, ख0नं0 57 रकबा 3.42 हे0, ख0नं0 56 रकबा 1.24 हे0, ख0नं0 55 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 48 रकबा 3.75 हे0, ख0नं0 47 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 42 रकबा 2.29 हे0, ख0नं0 129 रकबा 0.84 हे0, ख0नं0 156 रकबा 1.55 हे0, ख0नं0 183 रकबा 2.70 हे0, ख0नं0 182 रकबा 1.61 हे0, ख0नं0 328 रकबा 2.25 हे0, ख0नं0 171 रकबा 2.80 हे0 में से 0.40 हे0, ख0नं0 334 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 416 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 492/516 रकबा 0.15 हे0 भूमि रहेगी। प्रतिवादी नं0 21 ता 22 के हिस्से में ख0नं0 164 रकबा 2.55 हे0 भूमि रहेगी, प्रतिवादी नं0 23 के हिस्से में ख0नं0 171 रकबा 2.80 हे0 में से 1.44 हे0 भूमि रहेगी। प्रतिवादी नं0 26 के हिस्से में ख0नं0 90 की 3.09 हे0 भूमि में से 1.60 हे0 भूमि दर्ज रहेगी। प्रतिवादी नं0 2 ता 13 एवं प्रतिवादी नं0 24 व 25 द्वारा अपना हिस्सा अपनें भाईयों के पक्ष में छोड देनें से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट किया जावें। प्रतिवादी नं0 1, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 एवं वादी को ग्राम बाक्या स्थित भूमि में खातेदार घोषित किये जानें में कोई आपति नहीं है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 3 ता 13 एवं प्रतिवादी नं0 24 व 25 द्वारा अपना हिस्सा अपनें भाईयों	

के पक्ष में छोड देनें से, जिनके पक्ष में हिस्सा छोडा गया है

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो ... तारी...
	उनसे नियमानुसार पंजीयन शूल्क प्राप्त कर पालना करें। तदनुसार अंतिम डिक्री लोक अदालत केम्प किशोरपुरा में जारी की जाती है। राजीनामा की प्रति पालनार्थ निर्णय के साथ संलग्न रहे। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	

Scanned by CamScanner

नम्बर व ता... जो कि... तामील...

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
ज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प किशोरपुरा

उनवान

हरिमोहन पुत्र स्व0 गिरिराज जाति मीणा निवासी बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र केदार
2. महावीर पुत्र स्व0 रामकिशन
3. श्यामा बाई पुत्री स्व0 रामकिशन
4. कमलेश पुत्री स्व0 रामकिशन
5. संतोष पुत्र स्व0 रामकिशन
6. मनभर पुत्री स्व0 रामकिशन
7. ममता पुत्री स्व0 रामकिशन
8. मैना पुत्री स्व0 रामकिशन
9. बृजेश पुत्री स्व0 रामकिशन
10. रामनाथी बेवा रामकिशन
11. अनसूईया पुत्री सरवन लाल माता गट्टू बाई
12. सरस्वती बाई पुत्री सरवन लाल माता गट्टू बाई
13. रान्नू बाई पुत्री सरवन लाल माता गट्टू बाई
14. कमलेश पुत्र गिरिराज
15. पंकज पुत्र गिरिराज
16. दिव्या पुत्री गिरिराज
17. किशन दत्तक पुत्र गोपी लाल
18. मुकेश कुमार पुत्र बृजी लाल
19. बद्रीलाल पुत्र रामप्रताप
20. द्वारका लाल पुत्र रामप्रताप
21. दुलीचन्द पुत्र रामप्रताप
22. जगदीश पुत्र रामप्रताप

Scanned by CamScanner

23. मदनलाल पुत्र रामप्रताप

24. जानकी बाई पुत्री रामप्रताप

25. रुकमणी बाई पुत्री रामप्रताप

26. संकल चन्द पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासीगण दीगोद तहसील सांगरोल जिला कोटा

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

— प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53–88–89 आरटीएक्ट</u>

मिसल नम्बर–15/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री बलराम शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बाक्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 86 रकबा 2.97 हे0, ख0नं0 90 रकबा 3.09 हे0 में से रकबा 0.80 हे0

एवं ख0नं0 171 रकबा 2.80 हे0 में से 0.96 हे0, ख0नं0 60 रकबा 1.21 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 रामेश्वर के हिस्से में रहेगी। इसी प्रकार वादी हरिमोहन व प्रतिवादी 14 ता 17 के हिस्से में ख0नं0 90 रकबा 3.09 हे0 में से 0.48 हे0, ख0नं0 57 रकबा 3.42 हे0, ख0नं0 56 रकबा 1.24 हे0, ख0नं0 55 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 48 रकबा 3.75 हे0, ख0नं0 47 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 42 रकबा 2.29 हे0, ख0नं0 129 रकबा 0.84 हे0, ख0नं0 156 रकबा 1.55 हे0, ख0नं0 183 रकबा 2.70 हे0, ख0नं0 182 रकबा 1.61 हे0, ख0नं0 328 रकबा 2.25 हे0, ख0नं0 171 रकबा 2.80 हे0 में से 0.40 हे0, ख0नं0 334 रकबा 0.44 हे0, ख0नं0 416 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 492/516 रकबा 0.15 हे0 भूमि रहेगी। प्रतिवादी नं0 21 ता 22 के हिस्से में ख0नं0 164 रकबा 2.55 हे0 भूमि रहेगी, प्रतिवादी नं0 23 के हिस्से में ख0नं0 171 रकबा 2.80 हे0 में से 1.44 हे0 भूमि रहेगी। प्रतिवादी नं0 26 के हिस्से में ख0नं0 90 की 3.09 हे0 भूमि में से 1.60 हे0 भूमि दर्ज रहेगी। प्रतिवादी नं0 2 ता 13 एवं प्रतिवादी नं0 24 व 25 द्वारा अपना हिस्सा अपनें भाईयों के पक्ष में छोड देनें से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट किया जावें। प्रतिवादी नं0 1, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 एवं वादी को ग्राम बाक्या स्थित भूमि में खातेदार घोषित किये जानें में कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नं0 3 ता 13 एवं प्रतिवादी नं0 24 व 25 द्वारा अपना हिस्सा

Scanned by CamScanner

अपने भाईयों के पक्ष में छोड देने से, जिनके पक्ष में हिस्सा छोडा गया है उनसे नियमानुसार पंजीयन शुल्क प्राप्त कर पालना करें।" तद्नुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 29.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

Scanned by CamScanner